संख्या– 398 / माध्यमिक / 2003

प्रेषक,

जे०पी० जोशी,
अनु सचिव,
उत्तरॉचल शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र – 2
समुदाय केन्द्र ,प्रीति विहार,
नई दिल्ली ।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग। देहरादूनः दिनॉक 03 जुलाई, 2003

विषयः– टिक्कू मार्डन स्कूल, हल्द्वानी, नैनीताल को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली से सम्बद्वता हेतु अनापत्ति प्रमाण– पत्र दिया जाना ।

महोदय

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि टिक्कू मार्डन स्कूल, हल्द्वानी, नैनीताल को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है –

1– विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।

2– विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।

3– विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनूसूचित जाति/ अनूसूचित जन जाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेगें और उनसे उत्तरॉचल शासन, देहरादून द्वारा संचालित विदयालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा ।

4– संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व मे विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद ,नई दिल्ली से प्राप्त होने की तिथि से उत्तरांचल शासन ,देहरादून द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

5– संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिए जायेंगे।

6– कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों के अनुरुप सेवानिवृत्ति के लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

Manager,
Tikku Modern School
Nainital Road, Haldwani

Principal
Tikku Modern School

7- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किए जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।

8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन /संशोधन परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि :-

1. शिक्षक एवं कर्मचारियों को वेतन राज्य सरकार के समतुल्य दिया जायेगा।
2. विद्यालय के भवन निर्माण हेतु क्रय की गयी भूमि पर कक्षों आदि का निर्माण निर्धारित माप के अनुसार किया जायेगा।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(जे०पी० जोशी)
अनु सचिव।

संख्याः- 398 (1)/माध्यमिक/2003-तद्दिनॉकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-निदेशक, माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा,उत्तरांचल,देहरादून ।

2-मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक ,कुमायूँ मण्डल,नैनीताल।

3-जिला विद्यालय निरीक्षक,नैनीताल।

4-प्रबन्धक, टिक्कू मार्डन स्कूल, हल्द्वानी, नैनीताल

5-अनुभागीय पुस्तिका।

आज्ञा से,

(जे०पी० जोशी)
अनु सचिव।

Manager,
Tikku Modern School
Nainital Road, Haldwani

Principal
Tikku Modern School
Nainital Road,